P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

धरातलीय लोकतन्त्र में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुशील कुमार
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास़्त्र विभाग,
शिवपति पी0जी0 कालेज,
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर,
उ0प्र0, भारत

सारांश

धरातलीय लोकतन्त्र की अवधारणा से तात्पर्य विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्र की अवधारणा से जिसमें सार्वजनिक कार्यों का प्रबन्धन केवल उच्च स्तर पर नहीं होता बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य लोगों की सहभागिता एवं सहयोग से पूर्ण होता है। धरातलीय लोकतन्त्र से तात्पर्य एक ऐसी संरचना से है, जिसमें लोकतन्त्र स्थानीय स्तर पर पहुंच जाये। ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सन् 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता तथा जनसहभागिता में वृद्धि की जा सकें परन्तु यह अनुभव किया गया कि समुदायिक विकास कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम न होकर सरकारी कार्यक्रम बन गया। इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए एवं इसमें ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए सन् 1957 में बलवन्त राय मेहता अध्ययन समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि ग्राम विकास से सम्बन्धित योजना बनाने व उन्हे क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा स्वशासन के अधिकार जन प्रतिनिधियों को सौंप दिये जाये। इस प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य माना गया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना क लिए मेहता समिति की योजना को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सशक्त साधन माना गया। पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 को अस्तित्व में आया इस मंत्रालय का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान के खण्ड–9 के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया। धरातलीय लोकतन्त्र की प्रक्रिया में पंचायतों को अहम भूमिकायें सौंपी गयी, जिनमें से एक प्रमुख महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बढ़ावा देना है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से इसे नयी दिशा दी गयी इसमें सबसे बड़ा लाभ कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला। 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारो का अवसर दिया इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनकर संशक्तीकरण के मार्ग पर अग्रसर हुई है।

मुख्य शब्द : धरातलीय लोकतन्त्र, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता, राजनीतिक भागीदारी।

प्रस्तावना

वर्तमान विश्व में जितनी भी उपलब्ध शासन प्रणाली है उनमें लोकतन्त्र सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिये शासन किया जाता है। स्वतन्त्रता समानता, बन्धुत्व, न्याय, विधि का शासन लोकतन्त्र के आधार तत्व है। आज सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र को ही सर्वाधिक पसन्द की जाने वाली श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। आज के लोकतांत्रिक युग में यह धारणा व्यक्त की जाती है कि राज्य सरकार और सत्ता का सम्बन्ध जनता से होता है, सरकार लोगों की सेवक तथा उनके कल्याण का साधन होती है। फिर भी लोग स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय शासन के सम्पर्क में आते है लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की इकाई राजनैतिक वैधता की प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाती ह तथा लोगों में राजनैतिक भागीदारी की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार स्थानीय स्तर की शासकीय इकाईयों को राजनैतिक समाजीकरण, राजनैतिक गतिशीलता,

राजनैतिक सहभागिता एवं राजनैतिक संचारण से सम्बन्धित एक एकीकृत व्यवस्था की रूप में देखा जा सकता है। यह पद्धति लोकतन्त्र में लोगों की सहभागिता को सही अर्थों में सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। धरातलीय लोकतन्त्र की अवधारणा से तात्पर्य विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्र की अवधारणा से है, जिसमें सार्वजनिक कार्यों का प्रबन्धन केवल उच्च स्तर पर नहीं होता बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य लोगों की सहभागिता एवं सहयोग से पूर्ण होता है। धरातलीय लोकतन्त्र से तात्पर्य एक ऐसी संरचना से है जिसमें लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर पहुंच सकें।

भारत में धरातलीय लोकतन्त्र का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था ही है। पंचायत व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। विभिन्न कालों में इसे भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता रहा है। ऋग्वेद में ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ग्राम प्रशासन के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। इसी प्रकार महाभारत काल में स्थानीय प्रशासन के कार्यों का सचालन गांव का मुखिया करता था, जिसमें ग्रामीक नाम से सम्बोधित किया जाता था। मौर्य काल एवं गुप्त काल में पंचायतों को स्थानीय स्वशासन, सातवाहन शासन काल में इन्हे स्थानीय शासन संस्थायें, चौल शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था में स्वायत ग्राम परिषद के नाम से जाना जाता था। इनके अलावा भी इन्हे गणराज्य तथा नगर प्रशासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता रहा है। स्वाधीनता अन्दोलन के दौरान प्राचीन काल की पंचायतों को लोकतांत्रिक मानते हुए उन्हे लघुगणराज्य कहा गया। गांधी जी का मत था कि अहिंसा पर आधारित सभ्यता का निकटतम मार्ग भारत में पहले ग्राम गणराज है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी के ग्राम स्वराज व पंचायती आदशा का स्वीकार करते हुए ही संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्त के अध्याय में अनुच्छेद 40 में राज्या को निर्देशित किया कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करते हुए उन्हे ऐसी शक्तियां प्रदान करें कि वह स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदशा के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जिसमें आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति ग्रामीण जनता में रूचि जागृत हो सकें। सामुदायिक विकास एक समन्वित प्रणाली है, जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। इस योजना का आधार जनसहभागिता तथा स्थानीय शासन है, एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में इस योजना म शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि, संचार तथा समाज सुधार पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ ग्रामीणों के विचारों दृष्टिकोण तथा रूचि में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे ग्रामीण अपना विकास स्वयं करने के योग्य बन सकें। परन्तु सामुदिक विकास के सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में पहल करने की इच्छा जागृत करने में सफलता नहीं पायी जा सकी। 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध गामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की, और इस बात पर बल दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाय, निर्णय लेने में अधिकतम जनसहभागिता व भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें। 1959 में ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था का पारम्भ सर्वप्रथम राजस्थान व आन्ध्रप्रदेश द्वारा किया गया इसके पश्चात उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी इस पद्धति को स्वीकार किया। सन् 1977 में जनता सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं संरचना में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1978 में अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज का द्विस्तरीय प्रारूप सुझाया जिसमें जिला परिषद व मण्डल पंचायत शामिल है परन्तु इन सिफारिशों को विशेष समर्थन नहीं मिला पाया।

सन् 1992 में भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अध्याय 9 जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत 11वें अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को सवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो एवं सभी जाति, वर्गो की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया, इस अधिनियम के प्रभाव के फलस्वरूप पंचायतों की वर्तमान संख्या गामस्तर पर 2,34,676 ग्राम पंचायतें, मध्यम स्तर पर 6,097 मध्यवर्ती पंचायतें तथा जिला स्तर पर 537 जिला पंचायतें है। इस प्रकार कुल पंचायत संस्थायें 2,41,310 है।

भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। और उनकी आधी जनसंख्या महिलायें है, जिनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। जब तक समाज की इस आधी जनसंख्या का विकास नहीं होगा तब तक भारत का सर्वागीण विकास सम्भव नहीं है। देश में समुचित विकास करने के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिला कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण, समानता, लिंग न्याय आदि को आधार मानते हुए महिलाओं के समुचित विकास की बात कही है और यह मान्यता व्यक्त की है कि महिलाओं को पुरूषों के संदर्भ में राजनैतिक रूप से सशक्त किये बिना महिलाओं का समाज में समग्र एवं इच्छित विकास सम्भव नहीं हो सकता। परम्परागत रूप से भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान भारतीय लोकतन्त्र की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को नयी दिशा दी गयी। धरातलीय लोकतन्त्र के

आदर्शों की पूर्ति हेतु जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 2,41,310 पंचायत संस्थायें है, इनमें जिला पंचायतों में 41 प्रतिशत मध्यवर्ती पंचायतों में 43 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों में 40 प्रतिशत महिलायें धरातलीय स्तर पर जनसहभागिता कर रही है। पंचायतों के माध्यम से महिला संशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 9 लाख महिलायें है। तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष है। धरातलीय लोकतन्त्र में पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक चेतना, राजनैतिक समाजीकरण एवं राजनैतिक संचरण में वृद्धि हुई है, परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्या में 43 प्रतिशत तक महिलायें प्रतिनिधि चुनकर आयी ह। वर्तमान समय में बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी राज्यों ने महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है।

साहित्यावलोकन

नीरा देसाई (1957) ने कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं उनकी भूमिका का अध्ययन किया। प्रमिला कपूर (1990) ने अपने अध्ययन में पाया कि कामकाजी महिलाओं की वैवाहिक जीवन में उनके कार्य करने का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है तथा 1974 में एक अध्ययन शहरी शिक्षित महिलाओं का भी किया और पाया कि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध में उनके रोजगार में पद एवं भूमिका से सम्बन्धित है। कमलनाथ एवं अन्द्रे मैनफी सिंह (1970) ने अपने अध्ययन में कहा कि महिलाओं की अधिकतम संख्या खेती श्रमिकों के रूप में है। महिलाआ की भागीदारी श्रम कार्यों में घट रही है तथा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है। नरसिम्हा रेड्डी (1975) ने पाया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निम्न स्तरीय सिचिंत साधन है। यहां कम वर्षा अनुपात और निम्न उत्पादन होता है वहां पर श्रमिकों की स्थिति भी निम्न बनी रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की कार्य शक्ति एवं आय परिवार को सहयोग करती है। वी0एम0 डान्डेकर (1982) ने पाया कि महिलाओं का आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी का स्तर निम्न इसलिए रहता है क्योंकि उन्हे घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। ए0आर0 गुप्ता (1982) ने पाया कि महिलाओं की निम्न दशा का कारण पारिवारिक संरचना है, जिसमें महिलाओं की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेषतया युवा वर्ग की महिलायें अधिक प्रभावित होती है। स्वपन के0 सेठ (1985) ने लिखा है कि भारतीय महिलाओं का स्तर पिछले दो–तीन दशकों में ऊंचा उठा है। आगे वे कहते है कि महिलाओं का साक्षरता के स्तर में एवं रोजगार के स्तर में पुरूष की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। निसन्दह समाज में महिलाओं के स्तर में वृद्धि हुई है। एम0एल0गोयल (1974) ने पाया कि पुरूष की तुलना में भारतीय महिलायें राजनीति में कम भागीदार रही है, केवल कुछ शिक्षित महिलायें भी सरकारी नीतियों से प्रभावित हुई है। इमतियाज अहमद (1975) कहते है कि राजनीति के क्षेत्र में भारतीय महिलायें अप्रत्यक्ष तरीके से सामाजिक संरचना के अनुसार है। ए0आर0 गुप्ता (1976) राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक प्रस्थिति इस सिद्धान्त का प्रतिबिम्ब है कि उन्हे किस स्तर तक स्वतन्त्रता दी गयी है तथा किन राजनैतिक गतिविधियों में भागीदार है। परन्तु महिलाओं की भागीदारी वास्तविक निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में विफल हुई है। एस0एन0 मिश्रा (1977) ने अवलोकन किया कि पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व की अनुपस्थिति का मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है। महिला एवं महिलाओं की गतिविधियों की प्रसार की सीमा गृह प्रबन्धन तक है। अतः हम कह सकते है कि पंचायत नेतृत्व में लिंग एक निधारक तत्व है। मणिकक्यम्बा पी0 (1981) ने उत्तर प्रदेश के उत्तरी गोदावरी जनपद में अध्ययन किया और पाया कि स्थानीय शासन ने महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायत की बैठकों में बहुत कम है। रजिस्टर महिलाओं के घर पहुंचा दिये जाते है और वे उन पर अगूंठा लगा देती है। हेजेल डी लीमा (1983) ने महराष्ट्र में पंचायती राज संस्था में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका अध्ययन किया। उन्होने जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर महिला सदस्यों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि एवं महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर प्रकाश डाला । रामअहूजा (1985) ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी राजनैतिक गतिविधियों एवं राजनीतिक जागरूकता में कम पायी गयी लेकिन महिलायें राजनीतिक गतिशीलता, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सधार कर सकती है। इसलिए महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षरण आवश्यक है।

अध्ययन का महत्व

भारत में पंचायत की परम्परा प्राचीन काल से ही रही है परन्तु उसमें महिलाओं की स्थिति नगण्य रही है। प्राचीन पंचायतों का कार्य झगड़ों का निपटारा स्थानीय स्तर पर करना था परन्तु वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य धरातलीय लोकतन्त्र की स्थापना करना है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं योजनायें बनाने, उसके क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासनिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया गया है तथा स्वशासन के अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिये गये है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण के विचारों, दृष्टिकोण एवं रूचियों में परिवर्तन करके उन्हे आत्मनिर्भर बनाना है। तथा सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाने व उसके क्रियान्वयन में जनसहभागिता में वृद्धि करना है। इस प्रकार धरातलीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्थापित की जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं की भागीदारी भी शामिल है, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, ताकि वे भी स्वशासन के अधिकार को प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास में योगदान कर धरातलोय

स्तर पर लोकतन्त्र की स्थापना कर सकें। महिलायें धरातलीय लोकतन्त्र की स्थापना में किस स्तर तक सहभागिता कर रही है तथा किस दिशा में समाज को प्रभावित कर रही है, यह जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

शोध का उद्देश्य

धरातलीय लोकतन्त्र की स्थापना हेतु ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेन्दोकरण एवं जनसहभागिता में वृद्धि के लिए संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर 1995 में पहली बार चुनाव द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया। ग्राम पंचायतें जिनका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सभी पक्षों के विकास को सुनिश्चित कर जीवन स्तर में सुधार लाना था। ग्रामीण स्तर पर सभी जाति एवं वर्गो तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। महिलायें पंचायत राज व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार कर रही है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में महिलायें किसी प्रकार निर्णय निर्धारण करती है तथा विकास कार्यों में सहभागिता का स्तर क्या है आदि विषयों को जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित है –

1. महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
2. महिला प्रतिनिधियों की जनसहभागिता में भूमिका का स्तर का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र

पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के नेपाल सीमा पर स्थित जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के 6 गांव थरौली, दतरंगवा, पोखरभिटवा, करमा, महुलानी व मदनपुर तथा शोहरतगढ़ तहसील के 6 गांव छतहरी, परसिया, लोसा, महमूदवाग्रान्ट, जमुनी तथा सेमरा कुल 12 ग्राम सभा में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जनसहभागिता में भूमिका का अध्ययन किया गया।

निदर्शन का चयन

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील नौगढ़ एवं शोहरतगढ़ के कुल 12 ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों को एवं सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए सौद्देश्य निदर्शन पद्धति द्वारा कुल 100 इकाईयों का चयन किया गया तथा सम्बन्धित तथ्य एकांत्रित किये गये ।

तथ्य संकलन की विधि

अध्यक्ष क्षेत्र में चयनित इकाईयों से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्य एकांत्रित किये गये सूचनाओं का निरीक्षण व परीक्षण के लिए अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया।

शोध के निष्कर्ष

1. धरातलीय लोकतन्त्र को स्थापित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिन महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ उनमें 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बीच 40 प्रतिशत, 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बीच 40 प्रतिशत तथा 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें केवल 20 प्रतिशत पायी गयी इससे स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की आय 50 वर्ष से कम है।
2. शिक्षा सत्ता प्राप्ति का प्रमुख आधार माना जाता है। महिला प्रतिनिधि जो चुनकर आयी है उनमें अशिक्षित महिलायें 12 प्रतिशत हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त 68 प्रतिशत तथा माध्यमिक एवं स्नातक की शिक्षा प्राप्त महिला प्रतिनिधि 20 प्रतिशत पायी गयी। स्पष्ट है कि शिक्षा पंचायत राज व्यवस्था में आज शक्तिशाली आधार बन रहा है।
3. महिला प्रतिनिधियों में 76 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जो संयुक्त परिवारों से सम्बन्धित तथा 24 प्रतिशत महिलायें ऐसी है। जो एकाकी परिवारों से सम्बन्धित है। अतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में संयुक्त परिवारों में रहने वाली महिलाओं को भी राजनैतिक सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया है।
4. भूस्वामित्व परम्परागत रूप से शक्ति संरचना का प्रमुख आधार रही है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो में भी यह प्रतिमान स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है क्याकि 82 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि ऐसी है जिनके परिवार खेती योग्य भूमि के स्वामी है। शेष 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि ऐसी है, जो भूमिहीन परिवारों से सम्बन्धित है। अतः पंचायती राज व्यवस्था ने भूमिहीन परिवारों के व्यक्तियों को भी शक्ति संरचना का भागीदारो बनाया है।
5. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में 60 प्रतिशत महिलायें ऐसे परिवारो से सम्बन्धित है जिनके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनैतिक गतिविधियों में शामिल रहे है, जबकि 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहे है। स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के कारण गैर राजनैतिक परिवारों को भी राजनैतिक भागीदार बनाया है।
6. महिला प्रतिनिधियों के प्रेरणास्रोत के रूप में 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि परिवार के सदस्य जैसे पति, ससुर, पिता अथवा पुत्र ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए प्रेरित किया, जबकि 15 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों को राजनैतिक पार्टी के सदस्यों ने प्रेरित किया तथा 25 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों को विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के सदस्यों ने चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए प्रेरित किया।
7. महिला प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रतिद्वन्दिता के समय विभिन्न क्रियाशील समूहों (एक्शन सेट) ने सहायता प्रदान की थी इनमें 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों को परिवार व परिवार से

सम्बन्धित समूहों ने 25 प्रतिशत को जातीय समूहों ने 19 प्रतिशत को महिला समूहों ने 9 प्रतिशत राजनैतिक समूहों ने तथा 17 प्रतिशत को व्यक्तिगत सम्बन्धों, परम्परागत सम्बन्धों, व्यवसायिक सम्बन्धों पर आधारित समूहों ने सहायता की जिनकी सहायता से चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ।

8. चुनाव जीतने के पश्चात 100 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हे किसी न किसी रूप में लाभ हुआ है इनमें 26 प्रतिशत ने परिवार में प्रतिष्ठा, 26 प्रतिशत ने जाति में प्रतिष्ठा, 35 प्रतिशत ने गांव में प्रतिष्ठा वृद्धि को लाभ के रूप में स्पष्ट किया, जबकि 13 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि पंचायती राज व्यवस्था ने आरक्षण के माध्यम से प्रतिष्ठा वृद्धि के साथ साथ कार्य करने के अवसर भी प्रदान किये।
9. पंचायती राज में महिला प्रतिनिधि बनने के बाद परिवार का व्यवहार 85 प्रतिशत महिलाओं ने बहुत अच्छा बताया जबकि 15 प्रतिशत ने अच्छा नहीं माना।
10. सभी महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को राजनैतिक रूप से चेतन, सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक, निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में वृद्धि तथा अधिकारों के रूप में सशक्त बनाया है।
11. महिला प्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली एवं भूमिका निर्वहन सम्बन्धी जानकारी देते हुए 26 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने स्वयं पब्लिक के साथ जनसम्पर्क किया है। जबकि 74 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने जनसम्पर्क करते समय परिवार के किसी न किसी सदस्य का सहयोग लिया है।
12. महिला प्रतिनिधियों ने निर्णय निर्धारण के सम्बन्ध में बताया कि 26 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायत सम्बन्धी निर्णय स्वयं अपने विवेक से लेती है, जबकि 74 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि परिवार के सदस्यों की सहायता से निर्णय लेती है।
13. महिला प्रतिनिधियों का पुरूषों के साथ काम करने के विषय में जानकारी में पाया कि 70 प्रतिशत महिलाओं को पुरूषों के साथ काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उनके पंचायत सम्बन्धी सभी पुरूषों से सम्बन्ध अच्छे है। यदि कोई भी पुरूष नीतिगत कार्यों के सम्बन्ध में विरोध भी करता है तो विनम्र भाव से ही विरोध करते है ।
14. प्रभावी व्यक्तियों के दबाव के विषय में महिला प्रतिनिधियों में 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उन पर पंचायत के निर्णयों में प्रभावी व्यक्तियों का दबाव रहता है।
15. महिला प्रतिनिधियों में 80 प्रतिशत यह स्वीकार करती है कि उन्हे पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग मिलता है। जबकि 20 प्रतिशत स्वीकार करती है कि उन्हे पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है।
16. महिला प्रतिनिधियों में 80 प्रतिशत ने स्पष्ट किया कि उनके पंचायत सम्बन्धी अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध है, जबकि 20 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के सम्बन्ध अच्छे नहीं है।
17. सभी महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। उनके पंचायत कार्य सम्बन्धी समस्या का निराकरण का प्रयास भी किया जाता है।
18. महिला होने के कारण पंचायत सम्बन्धी कार्यो को करने में महिला प्रतिनिधियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसका प्रमुख कारण जानकारी का अभाव एवं अनुभव कमी है। 62 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि परिवार के विश्वसनीय एवं जानकारी प्राप्त सदस्यों के सहयोग से कार्यों का निष्पादन करती है, जबकि 38 प्रतिशत महिलायें स्वयं अपने विवेक से कठिनाईयों का निस्तारण कर लेती है।
19. महिला प्रतिनिधियों के पंचायती राज सम्बन्धी काम की प्राथमिकताओं में 50 प्रतिशत ने निर्माण कार्य, 18 प्रतिशत ने स्वच्छ पयेजल व्यवस्था, 20 प्रतिशत ने रोजगार एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा 12 प्रतिशत ने सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर रखकर कार्य किया है।
20. जागरूकता अभियानों में 70 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने टीकाकरण, पोलिया ड्राप्स पिलाने में, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जच्चा–बच्चा सुरक्षा सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चे का बीमा सुरक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, स्वरोजगार और स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता अभियानों में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है।
21. महिला विकास कार्यक्रमों के विषय में महिला शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, सामुदायिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण जच्चा–बच्चा संरक्षण, सुरक्षा बीमा, आंगनबाड़ी, पोषाहार, मिड डे मिल, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकत्री की भूमिका को महिला प्रतिनिधियों ने आवश्यक एवं श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया परन्तु इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीकों में सुधार की आवश्यकता स्वीकार किया।
22. महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत सम्बन्धी अधिकारियों के सम्पर्क के विषय में बताया कि उनका औसतन ग्राम विकास अधिकारी से सप्ताह में तीन बार, ब्लाक विकास अधिकारी से सप्ताह में एक बार, लेखपाल से सप्ताह में दो बार, तहसीलदार से पाक्षिक तथा जिला पंचायत अधिकारी से माह में एक बार सम्पर्क हो पाता है।
23. महिला प्रतिनिधियों में 80 प्रतिशत ने बताया कि वे पंचायत सम्बन्धी अधिकारियों से सतुंष्ट है। जबकि 20 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि सतुंष्ट नहीं है।
24. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी कि वे ग्राम पंचायत नेतृत्व से उनकी कार्य प्रणाली व भूमिका तथा व्यवहार से सतुंष्ट है।

80 प्रतिशत अधिकारियों ने बताया कि वे महिला प्रतिनिधियों ने संतुष्ट है, जबकि 20 प्रतिशत ने कहा कि महिला प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है, क्यों उनके कार्यों में उनके निकटतम व्यक्तियों का अधिक हस्तक्षेप होता है, जो कि नहीं होना चाहिए।

25. महिला प्रतिनिधियों की कमजोरी के विषय में अधिकारियों ने बताया कि महिलायें स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है। निर्णय लेने में उनके परिवार के सदस्य अथवा निकटतम सदस्य सहयोग करते है। उन्होने यह भी बताया कि क्षेत्रीय जानकारी तथा प्रशासनिक कुशलता के अभाव के कारण महिला प्रतिनिधि निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करती है।
26. पंचायत सम्बन्धी सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उनके पंचायत प्रतिनिधियों से अच्छे सम्बन्ध है। तथा वे सभी पंचायत प्रतिनिधियो को पूर्ण सहयोग करते है।
27. पंचायती सम्बन्धी सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि महिला प्रतिनिधियों की कठिनाईयों एवं पंचायत के कार्य सम्बन्धी जो भी समस्या होती है उनका समाधान किया जाता है। तथा पंचायत सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यक्रम कें क्रियान्वयन में यथासम्भव सहायता की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि धरातलीय लोकतन्त्र की स्थापना हेतु लोकतांत्रिक विकेन्दोकरण के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था। उसका परिणाम यह है कि आज महिलायें भी सरकारी योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भागीदार हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वागीण विकास हेतु जनसहभागिता, जनसहयोग को जागरूकता अभियान के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार महिलायें अपने कार्यों एवं प्रयासों से धरातलीय लोकतन्त्र को स्थापित करने में योगदान कर रही है। यदि व्यक्तिगत हितों पर कुछ सीमा तक अंकुश लग जाये तो गांवों को पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आदश बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आलोचना 1995 : हू विल मेक कैपटीज, ऐ रिपोर्ट आफ वुमनस पंचायत इन महराष्ट्र

अहमद इमतियाज 1975 : वुमन इन पोलिटिक्स, इन द्विवेदी जैन (ed) इण्डियन वुमन, न्यू दिल्ली प्रकाशन पृ0 312

देसाई नीरा 1957 : वुमन इन मार्डन इण्डिया, बॉम्बे वोरा एण्ड कं0

देसाई ए.आर. 1969 : रूरल सोशियोलाजी इन इण्डिया, बॉम्बे पोपुलर प्रकाशन

गोयल एम.एल.1974 : पोलिटिकल पार्टीशिपेसन इन ए डवलपिंग नेशन इण्डिया, एशिया प्रकाशन हाउस बॉम्बे पृ0 89–98

गुप्ता ए.आर. 1976 : वुमन इन हिन्दू सोसाइटी संगीता प्रिन्टर्स दिल्ली पृ0 231–233

गुप्ता ए.आर. 1982 : वुमन इन हिन्दू सोसाइटी, ए स्टडी आफ ट्रेडीशन एण्ड ट्रांजेशन, ज्योतिषना प्रकाशन नई दिल्ली।

कामथ, दयानन्द 1951: वुमन इन इण्डियन पोलिटिक्स, ए लॉ की परजेन्स, इन महराष्ट्र वुमन हेराल्ड वाल0 11, नं0–21, जून पृ0 3

कपूर, प्रमिला 1970 : मैरिज एण्ड वर्किंग वुमन, दिल्ली विकास प्रकाशन

कपूर, प्रमिला 1974 : दा चैजिंग स्टेटस आफ दा वर्किंग वुमन इन इण्डिया, दिल्ली विकास प्रकाशन

कौशिक, सुशीला 1993: वुमन एण्ड पंचायतीराज, नई दिल्ली हरआनन्द प्रकाशन

कुमार अशोक 1990 : वुमन पार्टीसिपेशन इन लोकल इंस्टीटयूशन, इन डबलपिंग वुमन इन चिल्डेन इन इण्डिया (ed) नई दिल्ली, कामनवेल्थ प्रकाशन पृ0 15–82

लीमा, डी0 हैजल 1983 : वुमन इन लोकल गर्वमेन्ट, कनसेप्ट नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा पी0 1981: पार्टीसिपेशन आफ वुमन इन पंचायती राज, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू आईसीएसएसआर नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा, पी0 1989: वुमन इन पंचायती राज स्ट्रक्चर, जैन प्रकाशन नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा, पी0 1990: वुमन प्रेजीडिंग आफिसर एट दा टेरीटरी पालिटिकल लेबल : पेर्टनस आफ इनडेक्शन एण्ड चैलेजिंस इन परफोंमेन्स जनरल आफ रूरल डवलपमेन्ट वाल.9, पृ0 993

मिश्रा, एस0एन0 1977 : पेर्टन आफ इमजिंग लीडरशिप इन रूरल इण्डिया, एसोशिएटेड बुक एजेन्सी पटना पृ0 110

नाथ कमल एण्ड सिंह ए एम, 1970 : फिमेल वार्क पार्टीसिपेशन एण्ड इकोनोमिक डवलपमेन्ट, इन इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, मई 23 पृ0840–849

रेड्डी, पी नरसिंहा 1975 : फिमेल वार्क पार्टीसिपेशन–ए स्टडी आफ इन्टरस्टेट डिफरेन्स–ए कोमेन्ट,इन इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली वाल0 10, नं0 23 जून पृ0 902–905

सिंह वी0बी0 1984 : प्रोफाइल आफ पालिटिकल इलीटस इन इण्डिया, रीतू प्रकाशन पृ0 25–26

सेठ, के स्वपन 1985 : इनक्रीजिंग स्टेटस आफ इण्डियन वुमन, योजना वाल0 29 नं0 22 दिसम्बर पृ0 21